WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

JULY 2022

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

INDEX

- उद्योगों में फायर की ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण शिविर
- एमएसएमई योजनाओं और GeM पोर्टल पर आधारित मार्केटिंग कैम्पेन का आयोजन
- कार्यवाही: जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक
- जीएसटी काउंसिल के फैसले का ओडीओपी के छोटे व्यापारियों को मिलेगा लाभ, प्रदेश के 30 लाख कारोबारी जुड़ेंगे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से
- मार्च 2026 तक लागू रहेगा जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस
- एमएसएमई को बड़ा तोहफा, अब बिना पंजीयन कर सकेंगे ऑनलाइन कारोबार
- आईटीसी के गलत इस्तेमाल पर भरना होगा ब्याज जीएसटीएन पोर्टल पर यूपीआई से चुका सकेंगे टैक्स
- पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता बढ़ाने को निर्यात पर कर
- ITR Filing: साल 2021-22 में बदली है नौकरी? तो ITR भरते समय इस बात का रखें ध्यान, वरना लगेगा जुर्माना
- CBDT का नया नियम! आय कम होने पर भी कुछ लोगों को भरना होगा ITR
- एमएसएमई की मजबूती के लिए बढ़ाया 650% बजट, प्रधानमंत्री ने भारत में कई योजनाए शुरू करने का किया एलान
- एनएसई व बीएसई में सूचीबद्ध होंगी एमएसएमई इकाइयां
- परतापुर में 240 करोड़ से बनेगा एसईजेड, रत्न और आभूषणों का बढ़ेगा निर्यात
- एक पोर्टल से ले सकेंगे 13 स्कीम के लोन, प्रधानमंत्री मोदी ने जन समर्थ पोर्टल किया लांच, छात्र, किसान, व्यापारी और उद्यमियों के सपने होंगे पूरे
- निर्यात के मालभाड़े पर निर्यातकों को मिलेगी 25% तक की आर्थिक सहायता
- सिबिल स्कोर बेहतर यानी सस्ता कर्ज मिलने की गारंटी, बीमा कंपनियां भी इसे देखती है
- बिना बैंकिंग लाइसेंस वित्तीय कारोबार नहीं, आरबीआइ की पीपीआइ सुविधा देने वाली फिनटेक कंपनियों पर सख्ती की तैयारी
- एनपीए प्रोविजनिंग के नियमो में होगा बदलाव

- ट्रांसफार्मर ख़राब तो 1912 पर दे सूचना
- एक किलोवाट तक बिजली कनेक्शन के साथ न देना होगा शुल्क
- मेरठ में बिजली लाइनों के निर्माण को 305 करोड़ मंजूर
- संपत्ति दान करने को देना पड़ रहा एक प्रतिशत शुल्क
- अब छह हजार रूपये में करे अपनों के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री
- साल के अंत तक देशभर में लागू हो जाएगी स्वास्थ्य बीमा योजना
- कैंट मे अगले वर्ष सिर्फ ऑनलाइन आएंगे बिल
- 5 करोड़ से ज्यादा कमाई तो निकालना होगा ई-वे बिल

उद्योगों में फायर की ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण शिविर

उद्योगों में अग्निशमन विभाग से ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र करने में आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु चैम्बर द्वारा एक प्रक्षिक्षण शिविर का आयोजन 23 जून को चैम्बर भवन में किया गया। प्रारम्भ में चैम्बर के अध्यक्ष डॉ रामकुमार गुप्ता जी द्वारा सभी का और मंचासीन अधिकारियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सैक्रेटरी श्रीमति सरिता अग्रवाल द्वारा किया गया। शिविर में श्री वीके कौशल, उपायुक्त उद्योग एवं अग्निशमन विभाग से श्री संतोष रॉय, सीएफओ, श्री आरके सिंह, एफएसओ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और उद्यमियों को फायर एनओसी की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से अवगत कराया। श्रीमति सरिता अग्रवाल द्वारा बताया गया कि चैम्बर के सभी सदस्यों को ऑनलाइन प्रक्रिया की पीडीएफ एवं शासनादेश की प्रति व्हाट्सअप के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। उपस्थित उद्योगों के प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन प्रक्रिया में आ रही समस्याओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा की जिसका तुरंत समाधान किया गया। फायर एनओसी की प्रक्रिया में उद्योगों के लिए सरकार द्वारा जनवरी माह में कुछ संशोधन किये गए थे उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया। उपायुक्त महोदय द्वारा उद्योगों को विभिन्न अनापत्ति प्रमाणपत्रो की उद्योगों में आवश्यकता के बारे में अवगत कराया।

एमएसएमई योजनाओं और GeM पोर्टल पर आधारित मार्केटिंग कैम्पेन का आयोजन

वैस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड आगरा के संयुक्त तत्वाधान में "मार्केटिंग कैंपेन" का आयोजन चैम्बर सभागार में दिनांक 15 जून को किया गया। सर्वप्रथम चैम्बर के अध्यक्ष डॉ राम कुमार गुप्ता जी ने उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा समय-समय पर एमएसएमई सेक्टर के उत्थान के लिए अनेक योजनाए तैयार की जाती है इसके लिए हम चैम्बर की ओर से भारत सरकार व राज्य सरकार का धन्यवाद करते है।

एनएसआईसी आगरा से पधारे वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री समीर अग्रवाल जी ने एनएसआईसी द्वारा एमएसएमई उद्योगों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न स्कीम्स एवं टेंडर प्रक्रिया के बारे में उपस्थित उद्यमियों को बताया। एमएसएमई मार्ट पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करवाकर उससे मिलने वाले लाभों के बारे में अवगत कराया।

इसके अतिरिक्त श्री उमाकांत चौधरी पूर्व जनरल मैनेजर, एनटीपीसी द्वारा जैम पोर्टल पर उद्यम का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है तथा इसके माध्यम से उद्यमियों को किस तरह से विभिन्न लाभ प्राप्त

होते है तथा जैम पोर्टल से संबंधित आने वाली कठिनाइयों व उनके निवारण की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

बैठक में स्थानीय उद्योग विभाग से सहायक आयुक्त उद्योग श्री शैलेन्द्र सिंह, एनएसआईसी से श्री समीर अग्रवाल, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री राजीव कुमार सक्सेना-प्रबंधक एवं लगभग 70 उद्यमियों ने भाग लिया।

कार्यवाही: जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक

जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने और कुछ वस्तुओं के स्लैब में बदलाव करने के मंत्री समूह के प्रस्तावों को तो परिषद ने मंजूरी दे दी है, लेकिन जीएसटी बटवारे का फार्मूला बदलने या राज्यों को दी जा रही क्षतिपूर्ति की अवधि और बढ़ाने की मांग पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जबकि बैठक में यही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था।

बैठक के पहले दिन ही कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाने और कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ाने की मंत्री समूह की सिफारिशों को केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद ने स्वीकार कर लिया था। यानी आगामी 18 जुलाई से अब यहां डिब्बाबंद दही, पनीर, पापड, जैविक खाद व अस्पताल के 5000 रूपये से अधिक किराए के कमरों पर (आईसीयू को छोड़कर) पांच फीसदी तथा हजार रूपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल के कमरों पर 12% जीएसटी लगेगा, वहीँ सोलर वाटर हीटर तथा चमड़ा उत्पाद पर जीएसटी पांच फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी तथा एलईडी लैंप और प्रिंटिंग व ड्राइंग इंक पर जीएसटी 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो जाएगा। राज्यों के भीतर सोने के आभूषण ले जाने पर ई-वे बिल अनिवार्य करने पर भी सहमति बनी है।

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Corporate Office & Works :

303-A, INDUSTRIAL AREA, PARTAPUR MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA

Tel. fax.: 0121-2440711 Email- shubhamorganics95@gmail.com

बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर भी 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन फिलहाल इसे टाल दिया है। गौरतलब है कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुक्सान की केंद्र से भरपाई की जो व्यवस्था पांच साल के लिए लागू की गई थी, यह सीमा खत्म होने का समय 30 जून था। ऐसे में, आय में कमी आने की आशंका से परेशान कुछ राज्यों ने मांग की थी कि या तो केंद्रीकृत जीएसटी और राज्य जीएसटी के 50-50 फीसदी के फॉर्मूले को बदलकर राज्य जीएसटी को 80-70 प्रतिशत और केंद्रीकृत जीएसटी को 20-30 प्रतिशत किया जाना चाहिए या फिर राज्यों को दी जा रही क्षतिपूर्ति की अवधि अगले पांच साल तक के लिए बढ़ा दी जाए।

बैठक में कुल 16 राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने की मांग की। यानी सिर्फ गैरभाजपा शासित राज्य ही क्षतिपूर्ति की अवधि समाप्त होने से चिंतित नहीं है। लेकिन जीएसटी परिषद ने इस पर कुछ फैसला न कर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी उदानसीता ही दिखाई है जबकि जीएसटी का दायरा बढ़ाना जितना जरुरी है, राज्यों की आशंकाएं दूर करना उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है।

जीएसटी काउंसिल के फैसले का ओडीओपी के छोटे व्यापारियों को मिलेगा लाभ, प्रदेश के 30 लाख कारोबारी जुड़ेंगे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से

जीएसटी काउंसिल द्वारा छोटे कारोबारियों को ई–कामर्स प्लेटफार्म पर सामान बेचने के लिए जीएसटी पंजीकरण में छूट दिए जाने का लाभ प्रदेश के 30 लाख से अधिक ओडीओपी कारोबारियों को होगा ।

जीएसटी पंजीकरण नहीं होने के कारण जिन कारोबारियों को ई–कामर्स पर पंजीकृत (थर्ड पार्टी) दूसरे कारोबारियों की मदद लेनी पड़ती थी, अब वह सीधे अपने उत्पादन की ऑनलाइन बेच सकेंगे । उन्हें ई–कामर्स पोर्टल पर पंजीकरण कराने की बाध्यता नहीं होगी ।

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

बढ़ेगा ओडीओपी उत्पादों का रेंज:

शासन के उच्चाधिकारियों का मानना है कि 30 लाख से अधिक ओडीओपी के कारोबारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे । ई–कामर्स प्लेटफार्म पर ओडीओपी उत्पादों की श्रृंखला में विस्तार होगा । कारोबार वृद्धि होने से ना सिर्फ ओडीओपी के कारीगरों व कारोबारियों को लाभ होगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी । इस फैसले से ऑनलाइन बाजार में ब्रांडेड कंपनियों व बड़े कारोबारियों को छोटे कारोबारियों से कड़ी टक्कर मिलेगी ।

ई-कॉमर्स कंपनियों ने किसी भी कारोबारी को अपने उत्पादन को बेचने के लिए पंजीकरण की बाध्यता कर रखी है। पंजीकरण उसी का होता है जिसका जीएसटी पंजीकरण होता है। ऐसे में मूल कारोबारी सीधे ई-कॉमर्स पर कारोबार से दूर ही रहता है।

छोटे जिलों को मिली पहचान:

ओडीओपी योजना के कारण प्रदेश के तमाम छोटे जिलों की पहचान वैश्विक बनी है। सिद्धार्थनगर जिले का उत्पाद कालानमक चावल की मांग पूरे विश्व में होने लगी है। आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी (काली मिटटी से बने बर्तन व सजावटी समान) का बाजार बढ़ा है। सहारनपुर के लकड़ी के सामान, मुरादाबाद के पीतल के सामान, मेरठ के स्पोर्ट्स उत्पाद, वाराणसी की सिल्क व साड़ियों का बाजार, ओडीओपी से जुड़ने के बाद ओर बढ़ा है।

अमेजन पर बिके थे 12 हजार करोड़ के उत्पाद:

जीएसटी काउंसिल का यह फैसला एक जनवरी 2023 से प्रभावी होगा। 20 से 40 लाख रूपये तक का सालाना कारोबार करने वालो को इस फैसले का अधिक लाभ होगा। ओडीओपी कारोबारियों के उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बेचने के लिए सरकार ने अमेजन और फ्लिपकार्ट से एमओयू कर रखा है। इसके बावजूद ई-कॉमर्स पर ओडीओपी कारोबारियों की उपस्थिति बहुत कम है। पिछले वित्तीय वर्ष में ओडीओपी कारोबारियों ने अमेजन से 12 हजार करोड़ और फ्लिपकार्ट के माध्यम से 1600 करोड़ रूपये का कारोबार किया था।

"जीएसटी काउंसिल का यह फैसला उत्तर प्रदेश के ओडीओपी कारोबारियों के कारोबार वृद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। 30 लाख से भी अधिक ओडीओपी कारीगर व कारोबारी अब सीधे अपने उत्पाद को ऑनलाइन बेच सकेंगे।" **नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव**

मार्च 2026 तक लागू रहेगा जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस

सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। GST सेस की वसूली को 30 जून को समाप्त किया जाना था, पर सरकार ने पिछले 2 सालों में राजस्व संग्रह में आई कमी को देखते हुए और 2 फाइनेंशियल इयर में राज्यों को दिए गए मुआवजे के उधार और बकाया के भुगतान के लिए इसे 4 साल तक और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। यह सूचना केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गयी है।

आपको बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर महंगी वस्तुओं और गैरजरूरी सामान पर लगाया जाता है अब इस उपकर को मार्च 2026 चार्ज किया जाएगा। इस उपकर को वसूलने के पीछे सरकार का मकसद राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई करना है ताकि 2020-21, 2021-22 के दौरान लिए गए कर्जों का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

केंद्र सरकार ने उपकर संग्रह में आई गिरावट की भरपाई के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में उधारी जुटाकर 1.1 लाख करोड़ रुपए जारी किए थे, वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसी मद में 1.59 करोड़ रुपए की राशि उधार लेकर राज्यों को जारी की थी। ऐसे में कई राज्यों ने केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था जारी रखने की बात कही थी, क्योंकि क्षतिपूर्ति व्यवस्था बंद होने से उनके राजस्व में किल्लत होने लगेगी।

गौरतलब है कि GST लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व क्षति की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति उपकर व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन यह व्यवस्था शुरुआत के 5 साल के लिए ही की गई थी, इस तरह इसे 30 जून 2022 को समाप्त हो जाना था। हालांकि, अब सरकार ने राज्यों के हितों को देखते हुए क्षतिपूर्ति उपकर हटाने की समय समयसीमा मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार राज्यों को 31 मई 2022 तक देय GST क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) का भुगतान कर चुकी है।

INDRA BRICK WORKS

Manufacture of:

MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

Office: 6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002

Mobile No.: 9737126444, 9837081518

Email: rajendra_2068@yahoo.com

Works: Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. DPS, Meerut City

एमएसएमई को बड़ा तोहफा, अब बिना पंजीयन कर सकेंगे ऑनलाइन कारोबार

जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में एमएसएमई के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसके तहत अब छोटे उद्यमी या कारोबारी राज्यों के भीतर बिना पंजीयन कराये ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे।

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया कि सालाना 40 लाख रूपये तक का कारोबार करने वाले उद्यमी या कारोबारी बिना पंजीयन के ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। अभी ऑनलाइन कारोबार करने के लिए जीएसटी पंजीयन कराना होता है। ये एमएसएमई अपने राज्य के भीतर बिना पंजीयन ऑनलाइन कारोबार भी कर सकेंगे। काफी दिनों से एमएसएमई सरकार से इस छूट की मांग कर रहे थे। अगले साल एक जनवरी से इस फैसले को लागू किया जाएगा। क्योकि इसे लागू करने के लिए आइटी सेटअप में कुछ बदलाव करना होगा, जिसमे दो-तीन महीने का वक़्त लग सकता है। बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव की तरफ से जीएसटी ट्रिब्यूनल का खाका प्रस्तुत किया गया। काउंसिल के सदस्यों के बीच यह सहमति बनी कि जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक में ट्रिब्यूनल पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। राजस्व सचिव ने बताया कि जीएसटी नेटवर्क में भी काफी सुधार करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत अब जीएसटीएन में एआइ व अन्य इंटेलीजेंस तरीके अपनाये जाएंगे। ताकि फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) में फर्जीवाड़ा नहीं हो सके। अगर कोई फर्जीवाड़ा करने की नियत से अस्पष्ट पता देगा तो मशीन उसे पहले ही चरण में पकड़ लेगी।

ईवी पर 5% जीएसटी:

बैठक में यह भी साफ़ किया गया कि बैटरी के साथ या बिना बैटरी वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा। ई-वेस्ट पर अब 5% की जगह 18% की दर से जीएसटी लगेगा तो पेट्रोलियम और कोल बेड मिथेन पर 5% की जगह 12% की दर से जीएसटी लगेगा।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

आईटीसी के गलत इस्तेमाल पर भरना होगा ब्याज जीएसटीएन पोर्टल पर यूपीआई से चुका सकेंगे टैक्स

सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देने और उनका अनुपालन बोझ कम करने के लिए जीएसटी नियमों में किए गए कुछ प्रक्रियात्मक बदलाव को अधिसूचित कर दिया है। बदलावों में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के गलत इस्तेमाल पर ब्याज लगाना और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सालाना रिटर्न भरने की टर्नओवर सीमा तय करना शामिल है।

अधिसूचित नियमों के मुताबिक, व्यवसायों को आईएमपीएस व यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली के जरिये जीएसटीएन पोर्टल पर कर चुकाने की अनुमति दी गई है। साथ ही 2021-22 में जिन इकाइयों का सालाना कारोबार दो करोड़ रुपये तक है उन्हें 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से छूट दी गई है।

ऑर्डर जारी करने को समय-सीमा में भी विस्तार:

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा, अन्य महत्वपूर्ण बदलावों में वित्त वर्ष 2017-18 के ऑर्डर जारी करने के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 (कर का निर्धारण) के तहत दी गई समय-सीमा में विस्तार भी शामिल है। अब यह सीमा 30 सिंतबर, 2023 है। हालांकि, किसी अन्य वित्त वर्ष के लिए इसे नहीं बढ़ाया गया है। इन बदलावों को जीएसटी परिषद ने 28-29 जून को हुई बैठक में मंजूरी दी थी।

पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता बढ़ाने को निर्यात पर कर

सरकार ने भारत से पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर कर लगाने की घोषणा की है। पेट्रोल और एटीएफ के निर्यात पर छह रुपये प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13 रुपये प्रति लीटर की दर से कर लगाया गया है। यह एक जुलाई से प्रभाव में आ गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन की तरह स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर भी कर लगाने की घोषणा की गई। घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर 23,250 रुपये प्रति टन का कर लगाया गया है।

राजस्व सचिव तरूण बजाज ने कहा कि नया कर सेज इकाइयों पर भी लागू होगा लेकिन उनके निर्यात को लेकर पाबंदी नहीं होगी। रुपये के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। सरकार आयात पर रुपये के मूल्य के असर को लेकर पूरी तरह सचेत है।

नए कर की समीक्षा हर पखवाड़े:

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कच्चा तेल, डीजल-पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर लगाए गए नए करों की समीक्षा अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए हर पखवाड़े करेगी। सीतारमण ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह एक मुश्किल वक्त है और वैश्विक स्तर पर तेल कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, ''हम निर्यात को हतोत्साहित नहीं करना चाहते लेकिन घरेलू स्तर पर उसकी उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं।'' अगर तेल उपलब्ध नहीं होगा और निर्यात अप्रत्याशित लाभ के साथ होता रहेगा तो उसमें से कम-से-कम कुछ हिस्सा अपने नागरिकों के लिये भी रखने की जरूरत होगी।

PASWARA GROUP

PASWARA PAPERS LIMITED

AN ISO 9001: 2008 Certified Company

Paper Product

High RCT Paper, High Ply Bond Paper, High BF Kraft Paper, White Craft Liner Paper

Regd. Office:

Paswara House, Baghpat Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2511692, Fax: +91-121-4056535
Email: paswara@ndf.vsnl.net.in

Factory:

N.H.-58, Paswara Border, Mohiuddinpur, Delhi Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2410502/503 Fax: +91-121-2410505
Email: info@paswara.com

ITR Filing: साल 2021-22 में बदली है नौकरी? तो ITR भरते समय इस बात का रखें ध्यान, वरना लगेगा जुर्माना

अगर वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के दौरान जॉब बदली है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। दरअसल, आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू कर दिया है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर (ITR Return) दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत:

ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है, जैसे- पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए। इसके अलावा, आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना अनिवार्य है। साथ ही आपकी ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए।

रखें ये खास ध्यान:

अगर आपने पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-2022 के दौरान जॉब बदली है जान लें कि आपको कैसे ITR फाइल करना है। इसके लिए आपको आईटीआर भरते वक्त दोनों कंपनियों द्वारा जारी फॉर्म 16 की जरूरत होगी। गौरतलब है कि हर साल 15 जून तक कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी कर देना आवश्यक है। दरअसल, इस फॉर्म 16 में कंपनी से मिले वेतन का विवरण होता है। इसमें यह जानकारी दी जाती है कि कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान कितना TDS काटा है।

ग्रॉस सैलरी को ऐड करें

आईटीआर भरते समय ध्यान रखें कि फॉर्म-16 के पार्ट बी में ग्रॉस सैलरी का कॉलम होता है। आपकी तरफ से डिडक्शन का किया गया दावा और टैक्स के दायरे में नहीं आने वाले अलाउन्सेज भी इसमें जोड़ें। नियम के अनुसार, इसमें आपको आपको दोनों कंपनियों से मिली कुल ग्रॉस सैलरी को जोड़ना होगा। इसके अलावा दोनों फॉर्म 16 से एचआरए, (HRA), एलटीए (LTA) की रकम भी जोड़नी होगी। इसे जोड़ने पर आपको वह राशि मिल जाएगी, जिस पर टैक्स छूट लिए आपको दावा करना है।

CBDT का नया नियम! आय कम होने पर भी कुछ लोगों को भरना होगा ITR

भारत में ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की आय आयकर (Income Tax) के दायरे में नहीं आती उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं है। आईटीआर भरने को लोग बिना वजह का बोझ मानते हैं। यही कारण है कि आयकर चुकाने के दायरे से बाहर रहने वाले बहुत कम लोग ही आईटीआर दाखिल करते हैं। हालांकि, आईटीआर भरने का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे फायदा ही होता है।

अभी ढाई लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं भरना होता है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करना भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन, ऐसा भी नहीं है कि इनकम टैक्स चुकाने के दायरे में नहीं आने वाले सभी लोगों को आईटीआर दाखिल नहीं करनी होती। सरकार ने अब बहुत से ऐसे लोगों के लिए भी आईटीआर फाइल करना अनिवार्य कर दिया है, जिन्हें अपनी आय पर आयकर नहीं चुकाना होता।

अप्रैल में जारी हुआ था नोटिफिकेशन:

इनकम टैक्स के दायरे में ज्यादा लोगों को लाने के लिए इनकम टैक्स(9th अमेंडमेंट) रूल, 2022 बनाया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस साल अप्रैल में एक नोटिफकेशन जारी कर उन लोगों के बारे में बताया था जिनके लिए अब आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता। जानकारों का कहना है कि आयकर विभाग ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयकर के दायरे में लाने के लिए ही नए प्रावधान किए हैं।

अब इनको भी दाखिल करनी होगी ITR:

अगर पिछले वित्त वर्ष में किसी बिजनेसमैन की कुल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 60 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे ITR फाइल करनी होगी भले ही उसकी आय पर इनकम टैक्स न लगता हो। अगर पिछले वित्त वर्ष में किसी प्रोफेशनल की अपने प्रोफेशन से कुल ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे भी ITR फाइल इस बार दाखिल करनी होगी।

एक वित्त वर्ष में अगर किसी व्यक्ति का TDS या TCS 25,000 रुपये या इससे ज्यादा है तो उसे भी आईटीआर दाखिल करनी होगी, भले ही उसकी आय टैक्स छूट के दायरे में आती हो। वरिष्ठ नागरिक के

मामले में TDS या TCS की सीमा 50,000 रुपये है। इसी तरह अगर अगर किसी व्यक्ति के एक या ज्यादा सेविंग्स अकाउंट में पिछले वित्त वर्ष में कुल डिपॉजिट 50 लाख रुपये या इससे ज्यादा है तो उसे भी इस बार ।TR फाइल करना होगा।

एमएसएमई की मजबूती के लिए बढ़ाया 650% बजट, प्रधानमंत्री ने उद्यमी भारत में कई योजनाए शुरू करने का किया एलान

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसएमई भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग एक तिहाई हिस्सेदारी इस सेक्टर की है। आसान शब्दों में कहें तो भारत अगर 100 रुपये कमाता है, तो उसमें 30 रुपये एमएसएमई सेक्टर की वजह से आते हैं।

इस सेक्टर को सशक्त करने का मतलब है, पूरे समाज को सशक्त करना, सबको विकास के लाभ का भागीदार बनाना, सबको आगे बढ़ाना। इस सेक्टर से जुड़े करोड़ों साथी देश के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस सेक्टर को मजबूती देने के लिए पिछले आठ साल में हमारी सरकार ने बजट में 650 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। इस सेक्टर से 11 करोड़ से भी अधिक लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष जुड़े हुए हैं। 'उद्यमी भारत' कार्यक्रम में पीएम ने बृहस्पतिवार को कहा, देश के हर जिले में, हर हिस्से में जो हमारे अद्भुत उत्पाद हैं, उन लोकल उत्पादों को हमने ग्लोबल बनाने का संकल्प लिया है।

7 करोड़ उद्यमियों ने पहली बार उद्यम शुरू किया:

पीएम ने बताया कि कर्ज लेने वालों में करीब सात करोड़ ऐसे उद्यमी हैं, जिन्होंने पहली बार उद्यम शुरू किए हैं और नए उद्यमी बने हैं। 'ट्रांसजेंडर' उद्यमियों के लिये हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है।

6000 करोड़ की रैंप योजना की शुरुआत:

मोदी ने कहा, एमएसएमई इकोसिस्टम को और सशक्त करने के •लिए करीब 6000 करोड़ रुपये की रैंप योजना को और गति मिलने वाली है। उन्होंने पीएमईजीपी लाभार्थियों को 2022- 23 के लिये सहायता का भी हस्तांतरण किया। विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र में 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना शामिल है।

18000 एमएसएमई को 500 करोड़ से अधिक हस्तांतरित:

पीएम ने, 18000 एमएसएमई को 500 करोड़ रूपये से अधिक हस्तांतरित किये। 50 हजार करोड़ रूपये के सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के तहत 1400 करोड़ रूपये एमएसएमई के लिए जारी किए गए है। आइडिया हैकाथन, 2022 के परिणामो की घोषणा की, आत्मनिर्भर भारत कोष में 75 एमएसएमई को 'डिजिटल इक्विटी' प्रमाणपत्र भी दिए।

SANGAL PAPERS LIMITED

Manufactures of:

ENVELOPE PAPERS, RIBBED PAPERS, PACKAGING & MANINATION PAPERS, SCRAP BOOK, CRAFT PAPERS, WRITING & PRINTING PAPERS, MG COLOUR PAPERS, NEWS PRINT PAPERS, STATIONERY PAPERS, PULP GRADE PAPERS

Regd. Office/Works:

Village Bhainsa, 22Km, Meerut Mawana Road, Mawana, Meerut- 250401

Phone No.: 01233-271137

Email: sales@sangalpapers.com

Website: www.sangalpapers.com

एनएसई व बीएसई में सूचीबद्ध होंगी एमएसएमई इकाइयां

शेयर बाजार के माध्यम से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की इकाइयां पूंजी जुटा सके, इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी का परिणाम है कि एमएसएमई विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और भारत स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के बीच हुए समझौते से 20 नई कंपनियां एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध हुई है। अब अधिक से अधिक एमएसएमई इकाइयों को इससे जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ नवनीत सहगल ने निर्यात प्रोत्साहन भवन में एमओयू पार्टनर संस्थाओं के साथ बैठक की और अधिक से अधिक संस्थाओं को एनएसई और बीएसई में सूचीबद्ध कराने के निर्देश दिए। एक वर्ष में बीएसई में 129 करोड़ रूपये बाजार पूंजी (मार्केट कैपिटल) की 12 कंपनियां और एनएसई प्लेटफॉर्म पर 101 करोड़ रूपये आकार श्रेणी की आठ कंपनियां आई है।

THE FASTEST GROWING INSTITUTION

CAEHS

College of Applied Education & Health Science

Gangotri, Roorki Road, Meerut

Phone no.: 0121-2610931, 2610200, 2610033

Admission Helpline: 9997030564, 9258051445

Email: info@caehs.edu.in

Website: www.caehs.edu.in

परतापुर में 240 करोड़ से बनेगा एसईजेड, रत्न और आभूषणों का बढ़ेगा निर्यात

वैश्विक बाजार की जरूरत के मुताबिक आभूषण और रत्न उद्योग को नई पहचान देने के लिए मेरठ में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) बनाया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मेरठ में एसईजेड का बुनियादी ढांचा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित करेगा। इसके लिए यूनाइटेड ज्वेलर्स एंड मेन्युफेक्चरर्स फेडरेशन ने काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ सलाहकार के रूप में समझौता किया है। परतापुर में करीब 24 एकड़ जमीन की तलाश हो रही है।

एसईजेड इकाइयों को सोने पर शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलता है, इसलिए वे सोने के आभूषणों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि करने में सक्षम हैं। संयुक्त अरब अमीरात, लैटिन अमेरिका, रूस, कनाडा आदि में सोने के आभूषणों की मांग अधिक है। मेरठ में सोने के सादे आभूषण, हीरे जड़ित आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण, और चांदी के आभूषण बड़े पैमाने पर बनते हैं।

शहर में 6 हजार से ज्यादा सराफा कारोबारी और 60 हजार से ज्यादा कारीगर हैं। यहां के हस्त निर्मित उत्कृष्ट आभूषणों की दुनियाभर में बड़ी मांग है। एसईजेड बनने के बाद यहां सराफा कारोबारियों को मुंबई, सूरत और जयपुर की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी। इससे घरेलू रत्न और आभूषण निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बाजार भी मिलेगा।

क्या है एसईजेड:

एसईजेड एक विशेष सीमांकित क्षेत्र या एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसे एक शुल्क मुक्त एंक्लेव माना जाता है। इसमें देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अलग कानून हैं। एसईजेड अपने बुनियादी ढांचे के फायदे के कारण घरेलू कंपनियों को आकर्षित करता है। एसईजेड केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से स्थापित किए जाते हैं।

मिलेंगी ये सुविधाएं:

- उद्यमियों को मुफ्त बिजली, पानी और जमीन पर सब्सिडी मिलेगी।
- माल या सेवाओं की बिक्री या खरीद पर बिक्री कर और सेवा कर के भुगतान से छूट होगी।

- नियोक्ता के अनुकूल श्रम कानून लागू होंगे। नियोक्ता को छह सप्ताह की पूर्व सूचना बिना हड़ताल भी नहीं होगी।
- परीक्षण एवं प्रमाणन प्रयोगशाला एवं हॉलमार्किंग सुविधा मिलेगी।
- आभूषण डिजाइनिंग, निर्माण प्रौद्योगिकी, रत्न विज्ञान, प्रदर्शनी व सम्मेलन हॉल होगा।

एक पोर्टल से ले सकेंगे 13 स्कीम के लोन, प्रधानमंत्री मोदी ने जन समर्थ पोर्टल किया लांच, छात्र, किसान, व्यापारी और उद्यमियों के सपने होंगे पूरे

अब लोन लेना बिल्कुल आसान होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जन समर्थ नामक पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसकी मदद से 13 प्रकार की सरकारी स्कीम के तहत बिना बैंक के चक्कर लगाए लोन लिए जा सकेगा। वित्त मंत्रालय और कारपोरेट मामले के मंत्रालय की तरफ से शुरू किए गए आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री ने एक, दो, पांच, 10 और 20 रुपये के विशेष सिक्के भी जारी किए। इन पर आजादी के अमृत महोत्सव का लोगो है। इस सिक्के को दिव्यांग जन भी आसानी से पहचान सकेंगे।

इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिक्ड स्कीम अलग-अलग माइक्रो साइटों पर नहीं बल्कि एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। ये जन समर्थ पोर्टल छात्रों का, उद्यमियों का, व्यापारियों-कारोबारियों का, किसानों का जीवन तो आसान बनाएगा ही, उन्हें अपने सपने पूरे करने में भी मदद करेगा। अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि कौन सी सरकारी योजना का सबसे ज्यादा लाभ होगा और वे कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह हमारे युवा आसानी से ये तय कर पाएंगे कि उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्ट अप इंडिया लोन चाहिए।

प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय से कहा कि हमारे बैंक, हमारी करेंसी इंटरनेशनल सप्लाई चेन का और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का व्यापक हिस्सा कैसे बनें, इस पर भी फोकस जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने वित्तीय समावेश के लिए प्लेटफार्म तैयार किए हैं और अब हमें उनके सदुपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ानी है। उन्होंने कहा कि जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब देश के युवाओं को और मध्यम वर्ग को एक बड़ा प्लेटफार्म मिला है। जब लोन लेने में आसानी होगी, प्रोसेसिंग में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे। ये पोर्टल स्वरोजगार को बढ़ाने में, सरकार की योजनाओं को सभी लाभार्थियों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाला है।

जन समर्थ पोर्टल के फायदे:

-लोन लेने के लिए आवेदक को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

-लोन के पात्र होने पर आनलाइन मंजूरी दी जाएगी।

-आवेदक के खाते में सीधा उसका भुगतान किया जाएगा।

-आवेदक आनलाइन ही अपने आवेदन पर होने वाली कार्यवाही को देख सकेंगे।

-सभी सरकारी बैंक के साथ 125 विभिन्न् वित्तीय संस्थान इस पोर्टल से जुड़े हैं।

-लोन लेने के इच्छुक आवेदक के आवेदन को इन सभी वित्तीय संस्थानों के पास आनलाइन भेज दिया जाएगा।

-फिलहाल चार श्रेणी के लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इनमें शिक्षा, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, कारोबार शुरुआत एवं जीवनयापन लोन शामिल हैं।

-आवेदक लोन नहीं मिलने पर या आनाकानी करने पर उसकी शिकायत भी आनलाइन कर सकेंगे।

-तीन दिनों में आवेदक की शिकायत का निपटान करना होगा।

-धीरे-धीरे इस पोर्टल का और विस्तार किया जाएगा जिससे लोन की श्रेणी और वित्तीय संस्थाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

Radha Krishna Group of Companies

A House of leading Clearing and Forwarding Agents, Logistic Managements, Medical & Education

H.O.: Manjulika House, 221/5, Thapar Nagar, Meerut

Ph. No.: 09412207670, 09412205570

Email: bhushan.drbrij@gmail.com, sandeepgoel69@gmail.com

Branch Offices: **Meerut, Ghaziabad, New Delhi, Deheradun, Haldwani, Lucknow, Varanasi, Kanpur, Kundli & Rai (Sonipat)**

निर्यात के मालभाड़े पर निर्यातकों को मिलेगी 25% तक की आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश में उत्पादित शीघ्र नाशवान वस्तुओं, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों का देश में स्थित एयर कार्गो काम्प्लेक्स के माध्यम से निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे निर्यातकों को प्रोत्साहित करने और निर्यात को ओर बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब निर्यात के माल भाड़े पर 25 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देगी। जिसे निर्यात के बाद निर्यातकों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके लिए निर्यातकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने निर्यातकों को माल भाड़े पर आर्थिक सहायता दिए जाने के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसे जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। जिसका लाभ उन निर्यातकों को मिलेगा, जो नाशवान वस्तुओं का एयर कार्गो के माध्यम से निर्यात करते हैं।

औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि निर्यातकों को वायुमार्ग से किए गए निर्यात के माल के भाड़े (जिसमें कार्गो हैंडलिंग से संबंधित अन्य व्यय भी सम्मिलित होंगे) पर व्यय धनराशि का 25 प्रतिशत अथवा 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से (जो भी कम हो) आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

जिसके लिए निर्यातकों को पोर्टल पर दावों को ऑनलाइन फाइल करना होगा। निर्यातक इकाई द्वारा निर्यात उत्पाद वायुमार्ग से विदेशी क्रेता को भेजे जाने के उपरांत, भेजे जाने की तिथि से अधिकतम 180 दिनों के अंदर अपना दावा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल करना होगा। जिसे संबंधित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र द्वारा पोर्टल पर परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किया जाएगा। आपत्ति न होने पर भुगतान कर दिया जाएगा। यह सुविधा प्रदेश की उन्हीं निर्माता, वाणिज्यिक निर्यातक इकाईयों को उपलब्ध होगी जो निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होंगी।

सिबिल स्कोर बेहतर यानी सस्ता कर्ज मिलने की गारंटी, बीमा कंपनियां भी इसे देखती है

अगर आप किसी भी बैंक में कर्ज या क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो बैंक या वित्तीय संस्थान सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर देखते हैं। बैंक या वित्तीय कंपनी से किस ब्याज पर कितना लोन मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर है कि आपका सिबिल स्कोर कितना अच्छा है।

आसान भाषा में कहें तो सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा, उतनी ही कम ब्याज दर आसानी से लोन मिल जाएगा। खराब होने पर लोन मिलना मुश्किल है और मिलेगा भी तो मंहगे ब्याज पर। सिबिल स्कोर रिपोर्ट में आपकी सभी व्यक्तिगत जानकारी, नौकरी संबंधी डिटेल्स, बैंक खाते और पुराने लोन की जानकारी होती है। बीमा कंपनियां भी आजकल यह स्कोर देखती हैं। सिबिल स्कोर 0 से 900 के बीच होता है।

सिबिल स्कोर अच्छा/खराब

550	बहुत बुरा
550-650	बुरा
650-750	औसत
750 से ज्यादा	अच्छा
750-900	सबसे अच्छा

व्यावसायिक संस्थाओं के लिए सिबिल स्कोर एक से 10 के बीच होता है। एक को सबसे अच्छा माना जाता है, जबकि 10 का स्कोर सबसे खराब होता है।

अगर आजतक आपका किसी कर्ज का इतिहास नहीं है या आपने किसी बैंक या एनबीएफसी या फिनटेक कंपनी से लोन नहीं लिया है तो आपका सिबिल स्कोर शून्य से भी नीचे चला जाएगा। अगर आपने समय पर नियमित रूप से कर्ज का भुगतान करते हैं तो सिबिल स्कोर 750 या उससे ज्यादा रहेगा।

ये चार एजेंसियां तैयार करती हैं स्कोर:

आरबीआई ने सिबिल स्कोर से जुड़ीं सूचनाएं जुटाने के लिए चार एजेंसियों को अधिकृत किया है। सिबिल, एक्सपेरियन, एक्वीफाक्स और हाईमार्क्स। ये संस्थाएं बैंक, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों

जैसे विभिन्न स्रोतों से कर्ज लेने, चुकाने समेत अन्य सूचनाएं जुटाती हैं। इनके आधार पर ही सिबिल स्कोर तैयार करती हैं।

- संस्थाएं यह भी देखती हैं कि आपने कर्ज लेने को कितनी बार बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से पूछताछ की है।
- व्यावसायिक संस्था के लिए लेखा परीक्षक, कोर्ट में लंबित मामले जैसी जानकारियां भी जुटाती हैं।
- समय पर कर्ज चुकाएं। किस्त न छूटे, इसके लिए उचित प्रबंध करें।
- अपनी कमाई का 30 फीसदी से ज्यादा कर्ज न लें।
- लोन के लिए बार-बार आवेदन न करें और न ही इसके लिए किसी को स्वीकृति दें।
- जरूरत के हिसाब से कर्ज लें। लुभावने प्रस्ताव और आकर्षण ब्याज की वजह से कर्ज न लें।
- लंबी अवधि के लिए कर्ज लें। इससे किस्त भी कम होगी, जिससे भुगतान करने में आसानी होगी।

बिना बैंकिंग लाइसेंस वित्तीय कारोबार नहीं, आरबीआइ की पीपीआइ सुविधा देने वाली फिनटेक कंपनियों पर सख्ती की तैयारी

तकनीक के सहारे पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती दे रही फिनटेक कंपनियां संभवतः अभी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। कुछ दिनों पहले आरबीआइ ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआइ) लाइसेंस की आड़ में ऋण देने वाली फिनटेक कंपनियों पर नकेल कसी है। साथ ही आने वाले दिनों में तकनीक आधारित सभी तरह की वित्तीय कंपनियों के लिए कायदे-कानून सख्त बनाये जाने का संकेत दिया है।

इस बारे में आरबीआइ की तरफ से डिजिटल लैंडिंग (मोबाइल एप या वेबसाइट के जरिये लोन देने की व्यवस्था) से जुड़े नियम बनाने के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की है जो फिनटेक के भविष्य पर फैसला करेगी। अभी तक मिले संकेत बताते है कि अगर कोई भी तकनीकी कंपनी वित्तीय लेन-देन से जुड़ा कारोबार करती है तो उसे बैंकिंग से जुड़ा लाइसेंस भी लेना होगा।

आरबीआइ समिति की बैठक की जानकारी के मुताबिक, किसी वित्तीय कंपनी को सिर्फ इसलिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता कि वह अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर सेवाएं दे रही है। केंद्रीय बैंक, बैंकिंग या

वित्तीय क्षेत्र में हो रहे तकनीकी विकास के खिलाफ नहीं है लेकिन एक नियामक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकता।

ग्राहकों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। जिस काम को करने के लिए दूसरे बैंको को कई तरह के प्रावधानों का पालन करना पड़ता है, उसे बिना आरबीआइ को सूचना दिए करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

भुगतान कार्ड से कर्ज देने पर पिछले हफ्ते लगाईं थी रोक:

आरबीआइ ने पिछले हफ्ते पीपीआइ की तरफ से जारी होने वाले भुगतान कार्ड्स के जरिए परोक्ष तौर पर कर्ज वितरण पर रोक लगा दी थी। हाल में आसानी से कर्ज देने वाली कई पीपीआइ कंपनिया सामने आई है जो किसी पंजीकृत एनबीएफसी से संबंधित होती है। इन्हे ऐसे वित्तीय कार्ड्स जारी करने की इजाजत है जिसके लिए भुगतान वो पहले ले चुकी है। यानी अगर कोई ग्राहक 1000 रूपये देता है तो उसके बदले पेमेंट कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन आरबीआइ को यह सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ कंपनियों ने कार्ड की सीमा से ज्यादा निकासी की सुविधा दे रही है। इसी कारण आरबीआइ ने सख्ती दिखाई है।

कंपनियों को कर्ज फसने का डर:

पेमेंट सिस्टम से जुडी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आरबीआइ से कहा था कि अचानक प्रतिबन्ध लगने से उनकी तरफ से वितरित कर्ज की राशि फसने का खतरा पैदा हो गया है। माना जा रहा है कि इस तरह के एक करोड़ कार्ड अभी तक वितरित किये गए है। आरबीआइ का यह भी कहना है कि एनबीएफसी स्वयं किसी दूसरे बैंक से फंड लेती है जो इन कार्ड कंपनियों को बतौर कर्ज फंड मुहैया कराती है। लेकिन जब एक कर्ज को फिर से एक कर्ज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके वापस नहीं होने की सूरत में व्यवस्थागत दिक्क़ते पैदा हो सकती है। इस तरह की फिनटेक कंपनियों के कार्ड की काफी मांग है क्योकि यह बहुत ही आसानी से और मामूली जांच-पड़ताल पर ही कर्ज मुहैया करा देती है। बैंको से कर्ज लेने में समय लगता है।

एनपीए प्रोविजनिंग के नियमो में होगा बदलाव

छह वर्षो की लगातार मेहनत के बाद देश के बैंकिंग सेक्टर के समक्ष फंसे कर्ज यानी एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट्स) की समस्या काफी हद तक नियंतरण में आती दिख रही है। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) की रिपोर्ट बताती है कि मार्च, 2022 में सभी बैंकों का शुद्ध एनपीए (नान परफार्मिंग एसेट्स) घटकर 1.7 फीसद पर आ गया है, जो पिछले दो दशकों का सबसे न्यूनतम स्तर है। इसका फायदा उठाते हुए अब सरकार और आरबीआई के बीच एनपीए की प्रोविजनिंग के मौजूदा तौर-तरीके को बदलने पर चर्चा हुई है।

इसका मकसद ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिससे एनपीए घोषित होने के बाद बैंक उसके लिए प्रोविजनिंग नहीं करें। बल्कि भविष्य के एनपीए का अनुमान लगाते हुए पहले से ही प्रोविजनिंग की जाए। वर्ष 2008-09 में वैश्विक संकट के बाद कई देशों ने यह तरीका अपना रखा है और भारत भी उसी रास्ते पर बढ़ रहा है।

प्रोविजनिंग के नियम के तहत कर्ज की जितनी राशि डूबती है, उसका एक हिस्सा बैंकों को अपनी पूंजी से (शुद्ध मुनाफे) से अलग रखना होता है। आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह बैंकों पर दोहरा वार करता है। एक तरफ उनकी राशि फंसी होती है, दूसरी तरफ मुनाफे का एक हिस्सा अलग करना होता है। यह नियम बैंकों को ज्यादा सतर्क रहने के उद्देश्य से उठाया गया था, ताकि वो कर्ज वसूली को लेकर कोताही नहीं करें। लेकिन, जब देश की इकोनमी की स्थिति ठीक नहीं होती है तो बैंकों को इससे काफी परेशानी होती है।

2013-14 से 2018-19 के दौरान एनपीए बढ़ने पर बैंकों को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी और इससे कई बैंकों को भारी हानि उठानी पड़ी। ऐसे में बैंकों के पास विस्तार या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त राशि नहीं बच पाती। इससे बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। आरबीआई एनपीए को लेकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए नई व्यवस्था लागू कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक, आरबीआइ पूरे बैंकिंग क्षेत्र में इस नए नियम को लागू करने के लिए एक सुझाव प्रपत्र जारी करेगी। सभी पक्षों से विमर्श के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

लगातार घट रहा फंसे कर्ज का स्तर:

आरबीआइ ने वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में बताया था कि पूरे बैंकिंग सेक्टर का सकल एनपीए मार्च, 2021 के 7.4 प्रतिशत से घटकर मार्च, 2022 में 5.9 प्रतिशत पर आ गया था। मार्च, 2023 में यह घटकर 5.3

प्रतिशत हो सकता है। जबकि शुद्ध एनपीए भी इस दौरान 2.4 प्रतिशत से घटकर 1.7 प्रतिशत पर आ गया है। बीती आठ तिमाहियों से लगातार फंसे कर्ज का स्तर घट रहा है।

ट्रांसफार्मर ख़राब तो 1912 पर दे सूचना

यदि आपके इलाके में ट्रांसफार्मर खराब हो गया है तो पीवीवीएनएल के टोल फ्री नंबर 1912 पर सूचना दे। एमडी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कहा कि सूचना दर्ज होने के साथ ही समयबद्धता के साथ समस्या का समाधान होगा।

एक किलोवाट तक बिजली कनेक्शन के साथ न देना होगा शुल्क

गर्मी के मौसम में बिजली मिले, ये चाहत सबकी है। बिजली का कनेक्शन पाने के लिए अब किसी को पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, बल्कि पावर कारपोरेशन आम लोगो को सहूलियत देने के लिए कैंप लगाकर बिजली कनेक्शन देगा। यही नहीं एक किलोवाट तक के घरेलु व वाणिज्यिक कनेक्शन पर प्रतिभूति धनराशि तत्काल नहीं देनी होगी। यह धनराशि किस्तों में छह मासिक बिलो में समान रुप से जोड़ी जायेगी। प्रमुख सचिव ऊर्जा व उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने सभी वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को भेजे आदेश में लिखा है कि बिजली शिविर में उपभोक्ता कनेक्शन पाने के लिए आवेदन करते है तो बिजली कर्मी उनका सहयोग करेंगे।

SHIVANGI INTERNATIONAL

A-216, 2nd Floor, Meerut Mall, Near Metro Plaza, Delhi Road, Meerut

Telephone: 0121-2517722, 2511578, 4002793

E-mail: info@shivangiinternational.com, shivangi2@gmail.com

Website: www.shivangiinternational.com

मेरठ में बिजली लाइनों के निर्माण को 305 करोड़ मंजूर

कैबिनेट ने मेरठ में 765 केवी बिजली उपकेंद्र से संबंधित 400 केवी और 200 केवी लाइनों की लागत के पुनरीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत 305.9 करोड़ रूपये है। इसके तहत मेरठ के 765 केवी उपकेंद्र से संबंधित 400 केवी डीसी मेरठ शामली लाइन का टीबीसीबी पद्धति से निर्माण कराया जाएगा, जिसकी कुल लागत 164.53 करोड़ होगी। मेरठ के इसी उपकेंद्र से संबंधित 220 केवी डीसी मेरठ-जानसठ लाइन व संबंधित 'हाइब्रिड बे' तथा 220 केवी डीसी मेरठ-अमरोहा लाइन व उससे संबंधित 'हाइब्रिड बे' का निर्माण ईपीसी पद्धति से होगा, जिसकी लागत 141.37 करोड़ होगी। इन परियोजनाओं का 70 प्रतिशत वित्त पोषण वित्तीय संस्थाओ से ऋण लेकर और बाकी 30 प्रतिशत शासकीय अंशपूंजी से कराने का निर्णय हुआ है। कार्यदायी संस्था की नियुक्ति के बाद 18 माह में कार्य पूर्ण किया जाना संभावित है।

संपत्ति दान करने को देना पड़ रहा एक प्रतिशत शुल्क

दान विलेख के लिए सरकार ने शुल्क में राहत दी है। नई व्यवस्था के अनुसार अब पांच हजार रूपये का अधिकतम शुल्क अदा कर संपत्ति का दान विलेख होगा। लेकिन अभी संपत्ति विलेख को लेकर निबंधन शुल्क की स्थिति स्पष्ट न होने से एक प्रतिशत निबंधन शुल्क आमजन को देना पड़ रहा है। अधिक महंगी संपत्तियों पर यह निबंधन शुल्क स्टाम्प शुल्क से ज्यादा है।

प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले दान विलेख को लेकर नए नियम तय किए थे। नए नियम लागू होने के बाद मेरठ में भी संपत्ति के दान विलेख की संख्या बढ़ी। लेकिन स्थिति स्पष्ट न होने के कारण किए गए बदलाव का पूरा लाभ लोगो को नहीं मिल पा रहा है। अब भी संपत्ति के निबंधन शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यही एक प्रतिशत शुल्क संपत्ति के मूल्यांकन पर लागू हो रहा है।

HYUNDAI

DAS HYUNDAI

Das Building, Abu Lane, Meerut

Phone no.: 0121-2660052/2660335

नए बदलाव ने दी है राहत:

मान लीजिए किसी संपत्ति का बाजार मूल्य एक करोड़ रूपये है। इस संपत्ति को दान करने के लिए पांच हजार रूपये का स्टाम्प शुल्क और संपत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत यानी एक लाख रूपये लगेगा।

जबकि पुरानी व्यवस्था के अनुसार एक करोड़ की संपत्ति का दान विलेख करने पर कुल आठ लाख खर्च करने पड़ते थे।

अब छह हजार रूपये में करे अपनों के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब किसी भी घर के सदस्य के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री करने का मोटा स्टांप शुल्क खत्म कर दिया है। नई स्कीम के तहत आप सिर्फ 5000 रुपए स्टांप शुल्क और 1000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देकर संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते हैं। आपको बता दें कि अभी तक इसके लिए संपत्ति के सर्किल रेट के हिसाब से स्टांप लगता था। उदाहरण के तौर पर यदि संपत्ति की कीमत 25 लाख रुपए है तो लगभग 2 लाख 10 रुपए का स्टांप लगता था। जिसे घटाकर अब महज 6000 रुपए कर दिया है।

आपको बता दें कि अब तक परिवार के अंदर गिफ्ट डीड में भी डीएम सर्किल रेट के हिसाब से शुल्क देना पड़ता था। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपनी 25 लाख रुपये की संपत्ति अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम करता था तो उसे कम से कम 2 लाख 10 हजार खर्च करने पड़ते थे। हालांकि अब यह काम मात्र 6 हजार में ही पूरा हो जाएगा। योगी सरकार की ओर से मंजूर की गई इस नई रजिस्ट्री नीति के मुताबिक, स्टांप और रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से इस छूट का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत छूट पाने वालों में परिवार के सदस्य, जैसे पिता-माता, पति-पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन और उनके बच्चे भी आएंगे।

विभागीय जानकारी के मुताबिक, यह योजना अभी ट्रायल बेसिस पर शुरू की गई है, जिसका लाभ छह महीने के लिए मिलेगा। इस योजना से राजस्व और रजिस्ट्री पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के बाद इसकी समयसीमा आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। योगी सरकार ने इसी प्रावधान के आधार पर यह सुविधा देने का फैसला किया है। वैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में यह सुविधा पहले से मौजूद है।

साल के अंत तक देशभर में लागू हो जाएगी स्वास्थ्य बीमा योजना

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस साल के अंत तक ईएसआइ योजना के तहत आंशिक रूप से आने वाले और अभी इसके तहत नहीं आने वाले सभी जिलों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा।

स्वास्थ्य बीमा योजना (ईएसआई) साल के अंत तक देशभर में लागू की जाएगी। योजना अभी पूर्ण रूप से 443 जिलों और आंशिंक रूप से 153 जिलों में लागू है। कुल 148 जिले अभी ईएसआई योजना के दायर में नहीं आते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग (ईएआईसी) ने घोषणा की है कि 2022 के अंत तक यह योजना देशभर में लागू होगी।

श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में ईएसआईसी की 188वीं बैठक में देशभर में चिकित्सा सुविधा और सेवा आपूर्ति तंत्र का विस्तार करने का फैसला किया गया। ईएसआईसी ने देशभर में 23 नए 100- बेड वाले अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया है।

कैंट मे अगले वर्ष सिर्फ ऑनलाइन आएंगे बिल

देशभर की छावनियों में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हर व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है। इसी कड़ी ई-छावनी पोर्टल के जरिए लोगो से जुडी सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरठ छावनी में भी यह व्यवस्था लागू है, लेकिन अगले साल से इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। मेरठ छावनी की और से इस वर्ष ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी बिल भेजे गए है, जिससे तकनीकी रुप से कम दक्ष लोगो को भी नई व्यवस्था से जोड़ा जा सके। लोगो की ओर से ई-छावनी पोर्टल पर पंजीकरण में दिए गए मोबाइल नंबर पर भी बिल चला जाएगा।

बिल का भुगतान भी मोबाइल से ऑनलाइन ही कर सकेंगे। बिल में कोई गड़बड़ी या अन्य शिकायत न होने पर किसी को कैंट बोर्ड कार्यालय जाने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी। कैंट बोर्ड के प्रेस प्रवक्ता जयपाल सिंह तोमर ने बताया कि ई-छावनी पोर्टल के जरिए सभी सेवाएं ऑनलाइन करके हुए कैंट बोर्ड कार्यालय पेपरलेस कार्यवाही की तैयारी कर रहा है।

5 करोड़ से ज्यादा कमाई तो निकालना होगा ई-वे बिल

जीएसटी के तहत पंजीकृत 5 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को बी2बी (बिजनेस-टु-बिजनेस) लेनदेन के लिए ई-वे बिल निकालना जल्द अनिवार्य किया जाएगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने ई-वे बिल संबंधी इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया था।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा कि हमने सालाना टर्नओवर के लिहाज से बहुत ऊंची सीमा के साथ ई-वे बिल की शुरुआत की है। जल्द ही इसे 5 करोड़ रुपये से अधिक का सालाना कारोबार करने वाले सभी करदाताओं के लिए बी2बी लेनदेन पर लागू कर दिया जाएगा।

इस व्यवस्था के लागू होने के बाद प्रत्येक बी2बी लेनदेन पर जीएसटी के तहत कर अधिकारियों को बिल मिलान की जरूरत नहीं होगी। अभी 20 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-वे बिल निकालना होता है।

धीरे-धीरे लागू होगी व्यवस्था:

उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई के कार्यक्रम में जौहरी ने कहा कि ई-वे बिल क्रांतिकारी व्यवस्था है। ऐसा कोई दूसरा देश मौजूद नहीं है, जिसने इसे अपनाया है। हम भी इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का मकसद करदाताओं को ई-वे बिल के बोझ में दबाना नहीं है बल्कि कारोबार को आसान और पारदर्शी बनाना है।

कारोबारियों को मिलेगा पहले से भरा रिटर्न फॉर्म:

उन्होंने कहा कि भविष्य में जीएसटी प्रणाली को इस तरह विकसित किया जाएगा, जिसमें करदाताओं को पहले से भरा हुआ टैक्स रिटर्न फॉर्म मिले। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारे पास एक ऐसी प्रणाली हो सकती है, जहां हम आपको (कारोबारियों) सभी रिटर्न फॉर्म इस तरीके से दें कि आपको बस उन्हें देखकर बटन पर क्लिक करना होगा और आपका रिटर्न दाखिल हो जाएगा।

XXXXXXXXXX